

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 129]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 17 मार्च 2022—फाल्गुन 26, शक 1943

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 17 मार्च 2022

क्र. 4164-73-इक्कीस-अ(प्रा.)—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 17 मार्च 2022 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजेश यादव, अपर सचिव.

## मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक ७ सन् २०२२

## मध्यप्रदेश विनियोग अधिनियम, २०२२

[“दिनांक १७ मार्च, २०२२ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई. अनुमति “मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)” में दिनांक १७ मार्च, २०२२ को प्रथम बार प्रकाशित की गई.]

वित्तीय वर्ष २०२१-२०२२ की सेवाओं के लिए मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय तथा विनियोग को प्राधिकृत करने के लिए अधिनियम.

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विनियोग अधिनियम, २०२२ है.

वित्तीय वर्ष २०२१-२२ के लिये राज्य की संचित निधि में से रुपये १,५२,३२,२०,९८,४९९ का दिया जाना.

२. मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से, अनुसूची के कॉलम (३) में विनिर्दिष्ट राशियों से अनधिक वे राशियां, जिनका कुल योग रुपये पन्द्रह हजार दो सौ बत्तीस करोड़ बीस लाख अठ्ठानवे हजार चार सौ निन्यानवे होता है, उन विभिन्न प्रभारों को चुकाने के लिए, जो अनुसूची के कॉलम (२) में विनिर्दिष्ट सेवाओं और प्रयोजनों की बाबत वित्तीय वर्ष २०२१-२०२२ के दौरान दिये जाने होंगे, दी और उपयोजित की जा सकेंगी.

विनियोग.

३. इस अधिनियम द्वारा मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से दी जाने और उपयोजित किये जाने के लिए प्राधिकृत राशियां, उक्त वर्ष के संबंध में अनुसूची में वर्णित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जाएंगी.

अनुसूची

( धारा २ और ३ देखिये )

( आंकड़े रुपयों में )

(१) अनुदान का संख्यांक	(२) सेवार्ये और प्रयोजन	(३) निम्नलिखित से अनधिक राशियां			
		विधान सभा द्वारा मतदत्त रुपये	संचित निधि पर भारित रुपये	योग रुपये	
	भारित विनियोग-ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	राजस्व	०	१००	१००
००१.	सामान्य प्रशासन	राजस्व	१०,००,००,०००	०	१०,००,००,०००
००६.	वित्त	राजस्व	७,४२,८३,००,०००	०	७,४२,८३,००,०००
००७.	वाणिज्यिक कर	राजस्व	४३,०८,००,०००	०	४३,०८,००,०००

(१)	(२)	(३)			
		रुपये	रुपये	रुपये	
००८.	भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन	राजस्व	०	९,८२,००,०००	९,८२,००,०००
०११.	औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन	राजस्व	४,००,००,००,०००	०	४,००,००,००,०००
०१२.	ऊर्जा	राजस्व	७५,९४,७०,००,०००	०	७५,९४,७०,००,०००
०१३.	किसान कल्याण तथा कृषि विकास	राजस्व	२,३२,४२,८००	०	२,३२,४२,८००
०१८.	श्रम	राजस्व	३,७५,००,००,०००	०	३,७५,००,००,०००
०२०.	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	राजस्व	१४,७७,८९,०००	०	१४,७७,८९,०००
		पूंजी	२०,००,५२,३९,०००	०	२०,००,५२,३९,०००
०२२.	नगरीय विकास एवं आवास	राजस्व	५,००,००,०००	०	५,००,००,०००
०२६.	संस्कृति	राजस्व	१,२५,००,०००	०	१,२५,००,०००
०२७.	स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)	राजस्व	१००	०	१००
०२९.	विधि और विधायी कार्य	राजस्व	०	५,४८,११,०००	५,४८,११,०००
०३०.	ग्रामीण विकास	राजस्व	१२,११,००,००,०००	०	१२,११,००,००,०००

(१)	(२)	(३)			
		रुपये	रुपये	रुपये	
०३३.	जनजातीय कार्य	राजस्व	७१,६९,८०,०००	०	७१,६९,८०,०००
०३४.	सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण	राजस्व	१,३८,००,००,०००	०	१,३८,००,००,०००
०३५.	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	राजस्व	२,५८,००,००,०००	०	२,५८,००,००,०००
०३७.	पर्यटन	राजस्व	६,२४,७०,०००	०	६,२४,७०,०००
०३८.	आयुष	राजस्व	४१,३२,६६,४९९	०	४१,३२,६६,४९९
०४४.	उच्च शिक्षा	राजस्व	१,४९,२९,००,०००	०	१,४९,२९,००,०००
०४५.	लोक परिसंपत्ति प्रबंधन	राजस्व	१४,४६,००,०००	०	१४,४६,००,०००
०४७.	तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार.	राजस्व	७०,९०,००,०००	०	७०,९०,००,०००
०४९.	अनुसूचित जाति कल्याण	राजस्व	२,०७,००,००,०००	०	२,०७,००,००,०००
०५५.	महिला एवं बाल विकास	राजस्व	२,००,००,००,०००	०	२,००,००,००,०००
०५८.	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	राजस्व	९,५०,५०,००,०००	०	९,५०,५०,००,०००

(१)	(२)	(३)		
		रुपये	रुपये	रुपये
०६४. पिछड़ा वर्ग कल्याण				
	राजस्व	७,०९,००,००,०००	०	७,०९,००,००,०००
	योग :			
	{ राजस्व	१,३२,१६,३८,४८,३९९	१५,३०,११,१००	१,३२,३१,६८,५९,४९९
	{ पूंजी	२०,००,५२,३९,०००	०	२०,००,५२,३९,०००
	वृहद योग :	१,५२,१६,९०,८७,३९९	१५,३०,११,१००	१,५२,३२,२०,९८,४९९

भोपाल, दिनांक 17 मार्च 2022

क्र. 73-इक्कीस-अ(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश विनियोग अधिनियम, 2022 (क्रमांक 7 सन् 2022) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH ACT  
No. 7 OF 2022

**THE MADHYA PRADESH APPROPRIATION ACT, 2022**

[Received the assent of the Governor on the 17th March, 2022; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 17th March, 2022.]

**An Act to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh for the services of the Financial Year 2021-2022.**

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Seventy-third year of the Republic of India as follows :—

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Appropriation Act, 2022.

Short title.

2. From and out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh there may be paid and applied sums not exceeding those specified in column (3) of the Schedule amounting in the aggregate to the sums of Rs. Fifteen thousand two hundred thirty two crore twenty lakh ninety eight thousand four hundred ninety nine towards defraying the several charge which shall come in the course of payment during the Financial Year 2021-2022 in respect of services and purposes specified in column (2) of the Schedule.

Issue of Rs. 1,52,32,20,98,499 from and out of the Consolidated Fund of the State for the Financial Year 2021-22.

3. The sums authorised to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh by this Act, shall be appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the said year.

Appropriation.

## THE SCHEDULE

(See Sections 2 and 3)

(1) No. of Vote	(2) Services and purposes	(3) Sums not exceeding			
		Voted by the Legislative Assembly	Charged on the Consolidated Fund	Total	
		Rs.	Rs.	Rs.	
	* Charged Appropriation- Interest Payments and Servicing of Debt.	Revenue	0	100	100
001.	General Administration	Revenue	10,00,00,000	0	10,00,00,000
006.	Finance	Revenue	7,42,83,00,000	0	7,42,83,00,000
007.	Commercial Tax	Revenue	43,08,00,000	0	43,08,00,000
008.	Land Revenue and District Administration	Revenue	0	9,82,00,000	9,82,00,000
011.	Industry Policy and Investment Promotion	Revenue	4,00,00,00,000	0	4,00,00,00,000
012.	Energy	Revenue	75,94,70,00,000	0	75,94,70,00,000
013.	Farmer Welfare and Agriculture Development	Revenue	2,32,42,800	0	2,32,42,800
018.	Labour	Revenue	3,75,00,00,000	0	3,75,00,00,000
020.	Public Health Engineering	Revenue	14,77,89,000	0	14,77,89,000
		Capital	20,00,52,39,000	0	20,00,52,39,000
022.	Urban Development and Housing	Revenue	5,00,00,000	0	5,00,00,000

(१)	(२)	(३)			
		रुपये	रुपये	रुपये	
026.	Culture	Revenue	1,25,00,000	0	1,25,00,000
027.	School Education (Primary Education).	Revenue	100	0	100
029.	Law and Legislative Affairs.	Revenue	0	5,48,11,000	5,48,11,000
030.	Rural Development	Revenue	12,11,00,00,000	0	12,11,00,00,000
033.	Tribal Affairs	Revenue	71,69,80,000	0	71,69,80,000
034.	Social Justice and Disabled Person Welfare.	Revenue	1,38,00,00,000	0	1,38,00,00,000
035.	Micro, Small & Medium Enterprises.	Revenue	2,58,00,00,000	0	2,58,00,00,000
037.	Tourism	Revenue	6,24,70,000	0	6,24,70,000
038.	Ayush	Revenue	41,32,66,499	0	41,32,66,499
044.	Higher Education	Revenue	1,49,29,00,000	0	1,49,29,00,000
045.	Public Assets Management	Revenue	14,46,00,000	0	14,46,00,000
047.	Technical Education, Skill Development and Employment.	Revenue	70,90,00,000	0	70,90,00,000
049.	Scheduled Caste Welfare	Revenue	2,07,00,00,000	0	2,07,00,00,000
055.	Women and Child Development.	Revenue	2,00,00,00,000	0	2,00,00,00,000

(१)	(२)	(३)		
		रुपये	रुपये	रुपये
058.	Expenditure on Relief on account of Natural Calamities and Scarcity.	Revenue 9,50,50,00,000	0	9,50,50,00,000
064.	Backward Classes Welfare	Revenue 7,09,00,00,000	0	7,09,00,00,000
	Total	Revenue 1,32,16,38,48,399	15,30,11,100	1,32,31,68,59,499
		Capital 20,00,52,39,000	0	20,00,52,39,000
	<b>Grand Total —</b>	1,52,16,90,87,399	15,30,11,100	1,52,32,20,98,499